[23/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 416]

परिशिष्ट - अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र० 416

72
85

मध्यप्रदेश शासन

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 2-5/2003/26-2 भोपाल, दिनांक 05 मार्च 2003

प्रति,

1. आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

2. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश।

3. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, ...
मध्यप्रदेश।

5. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश।

6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, ...
मध्यप्रदेश।

7. समस्त आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- एकीकृत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका में संशोधन।

-0-

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय जिलों में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों से पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली की जा रही है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अपात्र हितग्राहियों से पूर्व में भुगतान की गई राशि वसूल न की जाये।

...निरंतर-2

//2//

2/ उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 26-2/95 दिनांक 4.9.96 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई मार्गदर्शिका की कंडिका-6 (ख) में अपात्र हितग्राहियों से भुगतान की गई पेंशन राशि की वसूली संबंधी निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3/ यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों को प्रदत्त किये गये है। अतः यह निकाय सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में अपात्र हितग्राही को पेंशन स्वीकृत न की जाये तथा पात्र हितग्राही पेंशन से वंचित न हो।

4/ उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए0के0जैन) 4/3/03
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग.

पृ0क्र0 एफ 2-5/2003/26-2
भोपाल, दिनांक 05 मार्च 2003

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, (समस्त) मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव कार्यालय म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र0 960/मु.स./03 दिनांक 28/02/2003 के संदर्भ में
3. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(ए0के0जैन) 4/3/03
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग.